

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2466

दिनांक 12/08/2024

## प्रार्थीगण:-

1.आबासखां 2.सखरखां पि.हकीम 3.आलमों  
पत्नि हकीम 4.अकबर 5.हबीब 6.जमा 7.अनवर  
पि.गफूर 8.अदरूप 9.रसूल 10.अभन 11.इसाक  
12.ऐसान पि.मीरू, जाति मुसलमान, निवासी  
ईटादा, तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर

## विप्रार्थीगण:-

1.जुगता 2.चैना 3.लूणा पि.लाधू 4.समेला पुत्र राऊ 5.लखू  
पुत्र दला, जाति मेघवाल 6.चिनेसर पुत्र अमीन, जाति  
मुसलमान, निवासी ईटादा, तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर  
7.तहसीलदार धनाऊ

## प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी वावत |

राजस्व आवेदन सं. 176/2024

दिनांक : 12.08.2024

## आदेश

तहसीलदार धनाऊ को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील धनाऊ, पटवार क्षेत्र  
ईटादा के मौजा सुथारो का तला के खेत खसरा सं. 192, 33 रकबा क्रमशः 04.8481, 01.5945  
हैक्टयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है।  
उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन  
आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से  
उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें।

अवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2024/ 2467 to 2470

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार धनाऊ
2. प्रार्थीगण आबास खां वगैरा
3. विप्रार्थीगण जुगता वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 12/08/2024

(सूरजभान सिंहनोई)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन